न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 110/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. चतरसिंह पिता फतहलाल जी मेहता, निवासी गोगुन्दा, हाल 4, न्यू रतन कॉम्पलेक्स, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. अनुजा मेहता पिता चतरसिंह जी मेहता, निवासी गोगुन्दा, हाल 4, न्यू रतन कॉम्पलेक्स, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
3. पलास माण्डोत पिता अजीत कुमार जी माण्डोत, जाति जैन, निवासी 131, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेम कुंवर पिता शिवसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, हाल निवास कजलीवन कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर (राज.)
2. रणजीतसिंह पिता जामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. भूपेन्द्रसिंह पिता जामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती तेज कुंवर पुत्री जामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रामू कुंवर पत्नी हमेरनाथ, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. शंकरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. झामेश्वरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. धर्मनाथ पिता देवीनाथ चौहान, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती दुर्गा कुवर पुत्री देवीनाथ चौहान, निवासी बेमला कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती मुन्ना कुंवर पुत्री देवीनाथ चौहान, निवासी बेमला कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. वरदेसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, नि[illegible] मुनलोक, ग्राम पंचायत गुन्जोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रहलादसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, राजस्थान।
13. मुकेशसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, राजस्थान।
14. चतरसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, राजस्थान।
15. शोभागसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, राजस्थान।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर एवं उप पंजीयन अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
वल्लभनगर दि.21.06.2016 प्र.सं.9/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अजय सनाढ्य अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री राजमल राव अभि.रे.सं. 2 से 10, 12 से 14
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 02–02–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुंथवास में खाता संख्या 157 की वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' अंकित आराजियात कुल किता 19 रकबा 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है, जबकि उपरोक्त आराजियात मौरूसी होने के कारण उसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 14 का भी जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर वादिया का 1/6 हिस्सा बनता है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित हो गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

है, जबकि कब्जा आज भी वदिया का अपने 1/6 हिस्से पर चला आ रहा है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादिया को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 14 को भी 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा जो जमीन बेची गयी हो तो उसे उनके हिस्से से कम की जावे तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 21–06–2016 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 10 व 12 से 14 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 व 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट 16 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट दोनों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 06–10–2016 को पटवारी हल्का से हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को निर्णय के दिन ही हो गयी थी, दिनांक 06–10–2016 को पटवारी हल्का से जानकारी होने का कथन गलत एवं मनगढ़न्त है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन भी अपील के साथ प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रकरण में पक्षकार नहीं है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्टगण पीड़ित है। अतः उन्हें पक्षकार बनाया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से किस प्रकार प्रभावित है, इसका अंकन अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में धारा 96 जा.दी. का आवेदन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित है, इसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने आवेदन में नहीं किया है, केवल अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलान्ट पीडित है, के कथन मात्र से उन्हें पीड़ित पक्षकार नहीं माना जा सकता। तद्नुसार अपीलान्टगण की अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, जिसमें अपीलान्टगण द्वारा उक्त आराजियात में से कुछ आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है, किन्तु उक्त दस्तावेजात न तो आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, न ही सत्यापित दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्टगण को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।

उपरोक्तानुसार अपीलान्टगण पीड़ित पक्षकार साबित नहीं होने से एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 02–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

चतरसिंह पिता फतहलाल मेहता बनाम **श्रीमती प्रेमकुंवर पुत्री शिवसिंह राजपूत**
निवासी गोगुन्दा हाल 4, न्यू नवरतन कॉम्पलेक्स, फतहपुर व अन्य
निवासी कुंथवास, हाल कजलीवन कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर व अन्य

अपील नं.........**110/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..........
..... **वल्लभनगर**.......... मुकाम................मुवर्खे..........**...21**...............माह..............**06**..............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**02**....माह........**02**.......सन् **2021** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अजय सनाढ्य**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री संजय बोहरा/राजमल राव**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपीलान्टगण पीड़ित पक्षकार साबित नहीं होने से एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**02**.....माह.......**02**...........**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:40 IST
Reason: SelfAttested